"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त 2005—श्रावण 27, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ 10-1/2002/20.—छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1998 (क्र. 31 सन् 1998) की धारा 4 के खण्ड (ठ), (ड), (ढ़) तथा (न) सहपठित धारा 5 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश एफ 10-9/2003/20, दिनांक 6-5-2003 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. श्री आदिल हमीद खान, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव. — अध्यक्ष ;
2. श्री जफर अहमद, सेवानिवृत्त प्राचार्य राज़ातालाब, रायपुर. — सदस्य ;
3. मौलाना जहीरूद्दीन, संतोषीनगर, रायपुर. — सदस्य ;
4. शकील अहमद, जगदलपुर — सदस्य ;

5.	श्री बबलू सैफूद्दीन, गणेश नगर, बिलासपुर.	—	सदस्य ;
6.	श्री सलीम मेमन, सदर बाजार, जांजगीर–चांपा.	—	सदस्य ;
7.	श्री कैफ मोहम्मद, भोमिनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा.	—	सदस्य ;
8.	श्री आरिफ खान, म. नं. 241, कोसाबाड़ी मेनरोड, कोरबा.	—	सदस्य ;
9.	मो. ईरफान आलम, बस स्टैण्ड, जशपुर	—	सदस्य.

Raipur, the 18th August 2005

ORDER

No. F 10-1/2002/20.—In exercise of the powers conferred by clause (l), (m), (n) & (o) read with section 5 & 6 of the Chhattisgarh Madarasa Board Adhiniyam, 1998 (No. 31 of 1998) in supersession of vide Order No. F 10-9/2003/20 dated 6-5-2003 issued by this department, the State Government hereby nominates the following persons as chairman and members of Chhattisgarh Madarasa Board, namely :—

1.	Mr. Adil Hamid Khan Ambagarh Chowki, Rajnandgaon.	—	Chairman ;
2.	Mr. Jafar Ahmed, Retired Principal Rajatalab, Raipur.	—	Member ;
3.	Maulana Jahiruddin, Santoshi Nagar, Raipur.	—	Member ;
4.	Shakeel Ahmed, Jagadalpur	—	Member ;
5.	Mr. Bablu Saifuddin, Ganesh Nagar, Bilaspur.	—	Member ;
6.	Mr. Salim Meman, Sadar Bazar, Janjgeer-Champa.	—	Member ;
7.	Mr. Kaif Mohammed, Bhominpur Ambikapur, Dist. Sarguja.	—	Member ;
8.	Mr. Arif Khan, H. N. 241, Koshabadi Main Road Korba.	—	Member ;
9.	Mohd. Irfan Alam, Near Bus Stand Jashpur.	—	Member.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.